न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 47/2014

वादी :-	बनाम	प्रतिवादी :-
गोविन्दराम पुत्र राजूराम		1. राजस्थान सरकार जरिये
जाति-गेघवाल, निवासी-राबड़ियावास		तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)		तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.20.02.2014**

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 29/06/2015**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार हल्का-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 627 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 641 रकबा 10-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-2 कुल रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा स्वर्गीय मींडाराम पुत्र मांगीलाल के नाम की आराजी आई हुई थी। उपरोक्त वर्णित आराजी में स्वर्गीय मींडाराम अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा था। नकल जमाबन्दी वाद पत्र के साथ पेश किया हैं। जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें तथा उक्त वर्णित आराजी को आगे वाद-पत्र में विवादित आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। उक्त वर्णित विवादित आराजी स्वर्गीय मींडाराम को उनके पिता मांगीलाल के फौत होने के बाद प्राप्त हुई थी। स्वर्गीय मींडाराम ने अपने जीवन काल में शादी नहीं की थी तथा उन्होंने अपने छोटे भाई के पुत्र वादी को गोद ले रखा था तथा वादी ही मींडाराम की सेवा चाकरी करता था एवं उनकी साल संभाल देखरेख एवं उनकी आराजी की देखभाल भी वादी ही करता था एवं स्वर्गीय मींडाराम वादी के पास ही रहते थे। स्वर्गीय मींडाराम ने अपने जीवन काल में वादी को गोद ले रखा था तथा दिनांक 24/10/2011 को उप पंजीयन जैतारण के समक्ष गोदनामा को रजिस्टर्ड कराया था। वादी स्वर्गीय मींडाराम का गोद पुत्र हैं एवं गोद पुत्र होने के नाते स्वर्गीय मींडाराम की समस्त आराजी में वादी का अधिकार हैं। क्योंकि मींडाराम ने अपने जीवन काल में शादी नहीं की थी। इसलिए उनके कोई वारिसान नहीं थे। वादी ही एक मात्र उनका वारिस हैं। इसलिए स्वर्गीय मींडाराम की आराजी में वादी का ही हक व अधिकार हैं। रजिस्टर्ड गोदनामा वाद-पत्र के साथ पेश किया हैं, जिसे वाद-पत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। मींडाराम के फौत होने के बाद वादी ने उनके सारे रश्मों रिवाज, क्रियाकर्म, बारवां, गंगाप्रसादी, पिण्डदान एक गोद पुत्र होने के नाते सारे रश्मों रिवाज सम्पन्न किये तथा उसके बाद वादी ने प्रतिवादी के समक्ष उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के स्वर्गीय मींडाराम की जगह वादी का म्यूटेशन पारित किया जावें एवं विवादित आराजी में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। जिस पर प्रतिवादी ने म्यूटेशन पारित करने से मना कर दिया तथा वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया। इसलिये यह वाद पत्र वादी की ओर से

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

विरूद्ध प्रतिवादी के घोषणा के पेश किया हैं। वादी स्वर्गीय मींडाराम का गोद पुत्र हैं तथा मींडाराम ने अपने जीवन काल में जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के गोद लिया था एवं अब उनके फौत हो जाने के बाद मींडाराम की आराजी में एक मात्र वादी का हक व अधिकार हैं। यदि प्रतिवादी वादी का नाम जरिये रजिस्टर्ड गोदनामा के म्यूटेशन पारित नहीं करते हैं, तो वादी को असीम क्षति होगी। क्योंकि वादी का विवादित आराजी में कानूनी हक व अधिकार हैं। वादी के पास अब अन्य कोई आराजी नहीं हैं। यदि प्रतिवादी म्यूटेशन पारित करने में आनाकानी करते हैं, तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी एवं वह अपने जायज हक व अधिकारों से हमेशा के लिये महरूम हो जायेगा। वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वादपत्र घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश किया हैं। बिनायवाद दिनांक 27/01/2014 को वादी द्वारा प्रतिवादी के समक्ष म्यूटेशन भरने का प्रार्थना पत्र पेश करने पर प्रतिवादी द्वारा ईन्कार करने से बमुकाम-जैतारण तहसील-जैतारण जिला-पाली में पैदा हुआ हैं। जो अन्दर म्याद श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-राबड़ियावास में पेश हुई। प्रतिवादी ने जबाबदावा पेश करने हेतु समय चाहा हैं। जबाबदावा पेश करने का अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी को मींडाराम ने गोद लिया था। मींडाराम के स्वर्गवास के पश्चात् गोदपुत्र वादी का ही अधिकार हैं। प्रतिवादी नामान्तरकरण भरने से मना कर रहा हैं। गोदनामा रजिस्ट्रेशन सुदा हैं। वादी का वाद आंशिक स्वीकार योग्य हैं।

-:: आदेश ::-

अतः वादी का वाद आंशिक डिक्री बहक वादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार हल्का-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 627 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 641 रकबा 10-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-2 कुल रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा में मृतक खातेदार मींडाराम के विधिक वारिसान की जांच कर वादी के गोदनामा के परिप्रेक्ष्य में सम्पन्न कर विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। आंशिक डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। आंशिक डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 29/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र राबड़ियावास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

दायरजलारा :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

गोविन्दराम पुत्र राजूराम
जाति-मेघवाल, निवासी-राबड़ियावास
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, जैतारण
तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 47/2014

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद आंशिक डिक्री बहक वादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राबड़ियावास, पटवार हल्का-राबड़ियावास, तहसील-जैतारण में स्थित खसरा नम्बर 627 रकबा 16 बीघा 01 बिस्वा किस्म बारानी अव्वल एवं खसरा नम्बर 641 रकबा 10-04 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-2 कुल रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा में मृतक खातेदार मींडाराम के विधिक वारिसान की जांच कर, वादी के गोदनामा के परिप्रेक्ष्य में सम्पन्न कर विधि सम्मत नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। आंशिक डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ... .-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र लाम्बिया में आज तारीख 15/07/2015 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	01	-00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	- 00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	04	- 00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	02	- 00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनागा			मुत्फरिक		
मिजानः-	08	- 00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner